न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या:– 12/46/2026 दायर दिनांक 11.05.2026 रजि0 न0 2026/87

अपीलार्थी:–

श्री संतोष मीना, नि. जे–77, तीसरा तल, पर्यावरण कॉम्पलेक्स, ईग्नू रोड, नई दिल्ली 110068

प्रत्यर्थी:–

लोक सूचना अधिकारी एवं सचिव नगर विकास न्यास, जिला अलवर (राजस्थान)

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19 (1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

—:: निर्णय ::—

दिनांक:– 26.06.2026

1. उभय पक्ष अनुपस्थित।
2. हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का विशुद्ध परिशीलन किया ।
3. अपीलार्थी ने इस कार्यालय को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–6 (1) के तहत सूचना आवेदन दिनांक 04.04.2026 के परिपेक्ष्य में प्रत्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना से व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।
4. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर प्रत्यर्थी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया गया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 19.05.2026 को उपस्थित आवें।
5. अपीलार्थी उपस्थित नहीं आया तथा प्रत्यर्थी द्वारा जवाब अपील पत्रांक क्रमांक– नविवि/आर.टी. आई./2026/1529–30 दिनांक 19.05.2026 के माध्यम से अवगत कराया है कि अपीलार्थी के सूचना आवेदन दिनांक 04.04.2026 को सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना 6 बिन्दुओं के संबंध में सूचना चाही गई है। संबंधित शाखा द्वारा अपीलार्थी को पत्र क्रमांक 566 दिनांक 21.04.2026 को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत "सूचना तृतीय पक्षकार होने के कारण सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8(1)(जे), 11(1) के अनुसार देय नहीं होने के क्रम में संसूचित किया जा चुका है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज किये जाने योग्य है।
6. तथापि प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को न्यास के पत्रांक 566–67 दिनांक 21.04.2026 के माध्यम से अपीलार्थी को विनिश्चय किया जाकर संसूचित किया जा चुका है तथा प्रथम अपील के क्रम में अपीलार्थी को न्यास पत्रांक क्रमांक नविवि/आर.टी.आई./2026/1529–30 दिनांक 19.05.2026 के माध्यम से पुनः विनिश्चय कर संसूचित किया जा चुका है जो उचित एवं पर्याप्त है। अतः उक्त आलोक में अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाकर निस्तारित की जाती है। निर्णय की प्रमाणित प्रति उभय पक्ष को भिजवाई जावे।
7. आज दिनांक 26.05.2026 को निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्राकिंत किया गया ।

(डॉ. आर्तिका शुक्ला)
अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर, अलवर